रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227196
CG-DL-E-27052021-227196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 2021/ज्येष्ठ 6, 1943
No. 282] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2021/JYAISTHA 6, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

सा.का.नि. 348(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जहां तक दफ्तरी, चपरासी, टिकट कलक्टर, चिड़ियाघर रक्षक, चिड़ियाघर कीपर, सहायक कीपर, प्रधान चौकीदार, महावत, माली, चौकीदार परिचर, रसोइया–सह–आहार वितरक और गैंगमैन से संबंधित है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली (समूह ''ग'' और ''घ'' पद) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में बहुकार्य कर्मचारिवृंद पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली, बहुकार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद दफ्तरी 01 चपरासी 03 टिकट कलक्टर 04 चिड़ियाघर रक्षक 06 चिड़ियाघर कीपर 24 सहायक कीपर 48 प्रधान चौकीदार 01 महावत 03 माली 38 चौकीदार 19 परिचर 21 रसोईया–सह–आहार वितरक 02 गैंगमैन 10	180* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 1 (18000–56900 रु.)	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच। **टिप्पण :-** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यार्थियों की दशा में आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य या आई. टी. आई. उत्तीर्ण *पद की विशेष अपेक्षाओं के अनुसार अंगीकृत किया जा सकेगा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या पतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'C' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–** 1. निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान – अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान – सदस्य 3. अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 9–1/2018–एफ. ई.]

मंजु पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2021

G.S.R. 348(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the National Zoological Park, New Delhi (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1994, in so far they relate to the posts of Daftry, Peon, Ticket Collector, Zoo Guard, Zoo Keeper, Assistant Keeper, Head Watchman, Mahouts, Mali, Chowkidars, Attendant, Cook-cum-Food Distributor and Gangman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of the recruitment to post of Multi-tasking Staff in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Zoological Park, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Zoological Park, New Delhi, Multi-tasking Staff, Group 'C' posts Recruitment Rules 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-tasking Staff. Daftry 01 Peon 03 Ticket Collector 04 Zoo Guard 06 Zoo Keeper 24 Assistant Keeper 48 Head Watchman 01 Mahout 03 Mali 38 Chowkidar 19 Attendant 21 Cook-cum-Food Distributor 02 Gangman 10	180* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C', non-gazetted, non-ministerial.	Level - 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of Recruitment
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years of age **Note:** The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep. In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.	Matriculation pass or equivalent. or ITI pass* *May be adopted as per special requirements of the post, if any.	Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director, National Zoological Park – Chairman; 2. Joint Director, National Zoological Park – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; 4. Administrative Officer, National Zoological Park – Member.	Not applicable.

[F. No. 9-1/2018-FE]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.27 20:26:58 +05'30'